

अत्यावश्यक
ई-मेल

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010/पार्ट-2/104032

जयपुर, दिनांक

14 SEP 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा एकलपीठ याचिका संख्या
372/2013 अनोख बाई व अन्य (1) बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश
दिनांक 11.08.2016 के क्रम में।

प्रसंग :- वित्त विभाग की अ.शा.टीप दिनांक 01.09.2016 (संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक टीप के क्रम में निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 के क्रम में सर्विस प्रोवाइडर/प्लेसमेन्ट एजेन्सी/कान्ट्रैक्टर आदि से ली जा रही सेवाओं के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक की सूचना दिनांक 15.09.16 तक आवश्यक रूप से ई-मेल pdre_rdd@yahoo.com अथवा फैंक्स के माध्यम से भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य (1) बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का सार भाग निम्नानुसार है :-

"The Principal Secretary, Finance has agreed to call for the data from all the departments to show as to how much amount has been paid to the placement agencies and, out of it, how much amount goes to the workmen/employees. It is to find out as to how much public exchequer is incurred on placement agencies. If the payment to the employees is not made at the rate of minimum wages then liability may come on the State.

In view of above, it is directed that under the chairmanship of the Principal Secretary, Finance, a Committee should examine all the related issues. The Commissioner, Labour would be part of the Committee to make suggestions apart from any other expert. Every Department would give required data and to review the system if it is affecting the public exchequer, The review may further minimize the litigation which is mounting as otherwise avoidable. Due care would be taken that while payment is made in favour of the employees, it should not be at the rate lesser than the Minimum Wages. The Government would be expected to evolve such a mechanism which may not hit by the Service Rules and, at the same time, the administration remain effective and minimize the litigation and burden on the public exchequer.

Learned Additional Advocate Generals Mr. GS Gill and Mr. Anurag Sharma, appearing for respective Departments, would be part of the committee to advise on the legal issues and would make their suggestions as to how the litigation can be minimised so as the burden on public exchequer. The litigation against the government, at times, effects their administration a'so thus efforts of the Court is to reduced litigation and to avoid wastage of public exchequer.

Let above exercise be undertaken by the committee within period of two months from the date of receipt of copy of this order.

A copy of this order be given to learned Additional Advocate Generals Mr. GS Gill and Mr. Anurag Sharma.

List these petitions on 18th October, 2016 along with SB Civil Writ Petitions No. 17100/2015, 9188/2016, 8600/2016, 7289/2016, 7475/2016 and 4493/2016.

Till the next date, interim order dated 3.8.2016 to continue. "

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.8.2016 में प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षित है कि यह सूचना उपलब्ध कराये कि उनके स्तर से सर्विस प्रोवाइडर/प्लेसमेंट एजेंसी, वॉल्वेक्टर के माध्यम से कितना भुगतान किया जा रहा है और यह राजकीय निधि पर कितना प्रभाव डाल रहा है।

1 po (E.H.)
6/9/16
Cath.
8/9/16

S417
8/9/16

वित्त विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जोब वर्क बेसिस पर कार्य कराये जाने की सहमति ही दी जाती है। ऐसी स्थिति में समस्त विभागों से यह सूचना अपेक्षित है कि वह सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और उसकी स्वीकृति का आधार क्या है ?


माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 11.8.2016 को दृष्टिगत रख समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त विभागों से उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइडर/प्लेसमेंट एजन्सी/कान्ट्रैक्टर आदि से ली जा रही सेवाओं के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में-वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2016 तक की सूचना संकलित कर हर परिस्थिति में दिनांक 13.9.2016 तक वित्त विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह सूचना बजटमद वार अलग अलग तैयार की जाये तथा विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार भेजे जानी वाली सूचना के साथ कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भेजी गई सूचना की प्रतियाँ भी संलग्न की जाये।

विभागाध्यक्ष को सूचना प्रेषित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख कराना चाहिए कि सेवा प्रदाता/प्लेसमेंट एजेंसी/कान्ट्रैक्टर द्वारा रखे गये कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी का नियमित भुगतान कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजी गई सूचना समय पर सूचना नहीं भिजवाने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना समय पर सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथिकता दी जाये।


(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
क्रमांक प. 9(55) वित्त/नियम/2005
दिनांक : 1 SEP 2016

